कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0–01334–265700।

पत्रांकः न–10(2)/सीएफओ–GPR/2023 दिनांकः जून 12, 2023।

प्रधानाचार्य
राजकीय इण्टर कालेज,
गोपेश्वर, जनपद चमोली

विषयः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual Clearance** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–**94159985**, दिनांकः **29.05.2023** जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक *स्कूल भवन* है। भवन में कुल **G+1** तल है। जिसके प्लाट का क्षेत्रफल ***6000*** वर्ग मी0 है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) ***2600*** वर्ग मी0 है। भवन/संस्थान की ऊँचाई ***06*** मी0 है। भवन/संस्थान में *बेसमेन्ट है/* ***नहीं* है,** जिसका क्षेत्रफल...........वर्ग मी0 है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांकः **12 जून 2023 से 10 जून 2026(3 वर्ष) तक** के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी शिक्षक/कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. **संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. शिक्षण संस्थान में एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार 02 होजरील, फायर अलार्म सिस्टम एवं 450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प का प्रावधान 03 माह में किया जाना आवश्यक है, न किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।